राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पास, जयपुर

क्रमांकः–एफ.1(8)( )सामा./सान्याअवि/2022/36409 जयपुर, दिनांकः– 29-6-2022

कार्यालय आदेश

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके नाम के आगे अंकित परीक्षाओं में वर्ष 2021–22 में शामिल होने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती हैः–

क्र. सं	नाम अधिकारी /कर्मचारी	पद	नाम कार्यालय जिससें सम्बन्धित है।	कक्षा
1.	श्री किशनाराम लोल	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी	कार्यालय अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग, नागौर	पी.एच.डी. (समाजशास्त्र)
2.	श्री मुकेश कुमार	कनिष्ठ सहायक	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, संगरिया, हनुमानगढ़	M.A. English Previous
3.	श्री नईम अहमद	कनिष्ठ सहायक	सहायक निदेशक, सान्याअवि, बाँसवाडा	M.A. Sociology Final
4.	श्री हेमन्त कुमावत	कनिष्ठ सहायक	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, हुरडा भीलवाड़ा	M.Com Previous
5.	श्री रंगलाल मीना	कनिष्ठ सहायक	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सवाई माधोपुर	M.Com Final
6.	श्री दर्शन सिंह	कनिष्ठ सहायक	सहायक निदेशक, सान्याअवि भीलवाडा	B.A. III year
7.	श्री लोकन्द्र सिंह चौहान	कनिष्ठ सहायक	सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, बॉसवाड़ा	M.A. Final year
8.	श्री धारूलाल निनामा	छात्रावास अधीक्षक	सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, बॉसवाड़ा	M.A. Hindi Pre.
9.	श्रीमती रेखा सेन	कनिष्ठ सहायक	निदेशालय, सान्याअवि, मुख्यावास	B.A. III year
10.	श्री विनोद नागर	कनिष्ठ सहायक	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, नैनवॉ, बून्दी	M.A. Previous
11.	श्री सौरभ शर्मा	कनिष्ठ सहायक	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, हिण्डोली, बून्दी	M.A. Final
12.	श्री संजय कुमार	छात्रावास अधीक्षक	सहायक निदेशक, सान्याअवि, अलवर	B.LIS

शर्तेः–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित /स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

5. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेंगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार की जिम्मेदार नहीं होगी।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. अधिकारी/कर्मचारी परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन के अन्दर अंकतालिका निदेशालय में प्रस्तुत करेंगे।
12. परीक्षा की अनुमति प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी स्वीकृति आदेश में उल्लेखित शर्तों की पूर्ण पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(ओ.पी. बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः–एफ.1(8)( )सामा./सान्याअवि/2022/36410-39 जयपुर, दिनांक :– 29-6-2022
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, विशेष योग्यजन विभाग, जयपुर।
6. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग...................।
7. अधीक्षक/सम्प्रेक्षण गृह/किशोर गृह/शिशु गृह, बाल अधिकारिता विभाग..................।
8. सम्बधित अधिकारी/कर्मचारी श्री...।
9. सयुंक्त निदेशक, आई.टी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
10. कार्यालय पत्रावली।

अति. निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)